



## भारत निर्वाचन आयोग

प्ररूप-8

पावती सं०.....  
(कार्यालय द्वारा भरी जाएं)

(निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 13(1) और 26 देखें)

### निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट विशिष्टियों की शुद्धि के लिए आवेदन

सेवा में, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, ..... सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	पूरे चेहरे को सामने से उपदर्शित करते हुए नवीनतम फोटो (3.5 से.मी. x 3.5 से.मी.) चिपकाने के लिए स्थान ।
मैं निवेदन करता हूँ कि उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में आने वाली मुझसे संबंधित प्रविष्टि शुद्ध नहीं है और इसे शुद्ध कर दिया जाए ।	
(क) नाम	
(ख) उप नाम (यदि कोई हो)	
(ग) निर्वाचक नामावली के साथ रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम	
निर्वाचक नामावली की भाग सं. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	निर्वाचक नामावली की क्रम संख्या <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
(घ) ईपीआईसी सं. (यदि जारी की गई हो)	
(ङ.) कृपया सही की जाने वाली प्रविष्टि पर निशान लगाएं नाम <input type="text"/> फोटो <input type="text"/> ईपीआईसी <input type="text"/> पता <input type="text"/> जन्म की तारीख <input type="text"/> आयु <input type="text"/> संबंधी का नाम <input type="text"/> संबंध का प्रकार <input type="text"/> लिंग <input type="text"/>	
शुद्ध की जाने वाली प्रविष्टि में शुद्ध विशिष्टियां नीचे दी गई हैं :-	
(च) ई-मेल आई डी (वैकल्पिक)	
(छ) मोबाइल सं. (वैकल्पिक)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
मुझे ज्ञात है कि ऐसा कथन करना या घोषणा करना जो असत्य है और जिसे मैं जानता हूँ या विश्वास करता हूँ कि असत्य है या जिसके सत्य होने पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ, वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन दंडनीय है ।	
स्थान.....	
तारीख .....	आवेदक के हस्ताक्षर.....

### क्षेत्र स्तरीय सत्यापन अधिकारी की टिप्पणी :

--

**की गई कार्रवाई के ब्यौरे**  
(निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा भरा जाना है)

प्ररूप 8 में निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि की शुद्धि के लिए श्री/श्रीमती/कुमारी .....का आवेदन स्वीकृत/नामंजूर कर दिया गया है।

[नियम 18/20/26(4) के अधीन या अनुसरण में] स्वीकार करने या [नियम 17/20/26(4) के अधीन या अनुसरण में] नामंजूर करने के लिए विस्तृत कारण नीचे दिए गए हैं :

स्थान:

तारीख : निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के हस्ताक्षर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर की मुद्रा

किए गए विनिश्चय की सूचना (निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा भरा जाना है और अभिलेख में उपलब्ध/आवेदक दिए गए पते पर डाक द्वारा भेजा जाना है)

श्री/श्रीमती/कुमारी .....का प्ररूप 8 में आवेदन

वर्तमान पता जहां आवेदक मामूली निवास करता है ।

मकान सं.

निर्वाचक  
रजिस्ट्रीकरण  
प्राधिकारी द्वारा  
प्रेषण के समय डाक  
टिकट चस्पा किए  
जाने हैं

गली/क्षेत्र/परिक्षेत्र

नगर/ग्राम

डाकघर

पिन कोड

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

जिला

राज्य/संघ

राज्यक्षेत्र

(क) स्वीकार कर लिया गया है और सभा निर्वाचन क्षेत्र सं0 ..... के भाग सं. .... की क्रम सं. .... को तदनुसार ..... उपांतरित कर दिया गया है ।

(ख) .....कारण से अस्वीकृत कर दिया गया है ।

तारीख :

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर

पता.....

**पावती/रसीद**

पावती सं. \_\_\_\_\_

तारीख \_\_\_\_\_

श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ का प्ररूप 8 में आवेदन प्राप्त हुआ है ।

[आवेदक आवेदन की स्थिति जांचने के लिए पावती सं. निर्दिष्ट कर सकता है]

ईआरओ/एईआरओ/बीएलओ का नाम/ हस्ताक्षर

आवेदन प्ररूप-8 भरने के लिए दिशा-निर्देश

**प्ररूप-8 कैसे भरा जाना चाहिए**

1. आवेदन उस निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को संबोधित किया जाना चाहिए जिसमें आवेदक का नाम पहले से ही अंतर्वेशित है। निर्वाचन क्षेत्र के नाम का रिक्त स्थान में उल्लेख किया जाना चाहिए।
2. आवेदक को आवेदन के भाग I (मद (क) और (ख)) में अपना नाम उस रूप में लिखना चाहिए जैसा कि उसे निर्वाचक नामावली में प्रतीत हो। यदि निर्वाचक नामावली में मुद्रित आवेदक के नाम के आधक्षर संक्षिप्त रूप में हैं और वे उसे विस्तृत रूप में मुद्रित कराना चाहते हैं तो वे अपना पूरा नाम विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। पहले खाने में उपनाम को छोड़कर शेष पूरा नाम लिखा जाना चाहिये तथा उपनाम दूसरे खाने में लिखा जाना चाहिये। यदि आवेदक का कोई उपनाम नहीं है तो केवल दिया गया नाम ही अंकित करें। जाति का उल्लेख सिर्फ वहीं किया जाना है, जहां जाति का नाम निर्वाचक के नाम के भाग के रूप में अथवा उपनाम के रूप में प्रयुक्त है अन्यथा नहीं। सम्मानसूचक पदवियां जैसे, श्री, श्रीमती, कुमारी, खान, बेगम, पंडित इत्यादि उल्लिखित नहीं की जानी चाहिए।
3. मद (ग): निर्वाचक नामावली के जिस भाग में आवेदक का नाम सूचीबद्ध है उसकी भाग संख्या तथा उस भाग में क्रम संख्या को कृपया भरें। यह अनिवार्य है।
4. जन्म-तिथि में त्रुटि-सुधार करने के लिए दस्तावेजी सबूत संलग्न किए जाने चाहिए जैसा कि नीचे दिया गया है:
  - i) नगर पालिका प्राधिकारियों या जन्म एवं मृत्यु पंजीयक के जिला कार्यालय द्वारा निर्गत जन्म प्रमाणपत्र-पत्र या बपतिस्मा प्रमाण-; या
  - ii) आवेदक ने जिस विद्यालय (सरकारी/ मान्यता प्राप्त) या किसी अन्य मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में अंतिम बार पढ़ाई की हो उसके द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र; या
  - iii) यदि व्यक्ति ने दसवीं या उससे ऊपर की कक्षा उत्तीर्ण की हो तो उन्हें दसवीं कक्षा के अंक पत्र की एक प्रति देनी चाहिए बशर्ते उसमें जन्मतिथि के प्रमाणस्वरूप जन्मतिथि दर्ज हो; या
  - iv) कक्षा 8 का अंक पत्र यदि उसमें जन्मतिथि दर्ज हो; या

- v) कक्षा 5 का अंक पत्र यदि उसमें जन्मतिथि दर्ज हो; या
- vi) यदि व्यक्ति कक्षा दसवीं तक शिक्षित नहीं हो तो उसके माता/पिता में से किसी के भी द्वारा अनुबंध-। (रजिस्ट्रेशन प्राधिकारियों द्वारा, मांगे जाने पर उपलब्ध कराया जाएगा) में दिए गए विहित फार्मेट में घोषणा-पत्र (जिन मामलों में आयु के प्रमाणस्वरूप माता-पिता की घोषणा दी जाती है, उनमें आवेदक को बीएलओ/ईआरओ/ईआरओ के समक्ष स्वयं को सत्यापित करने के लिए प्रस्तुत करना होगा); या
- vii) यदि व्यक्ति कक्षा 10 तक शिक्षित नहीं है और माता/पिता में से दोनों ही जीवित नहीं हैं तो संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच या संबंधित नगर निगम पालिका समिति के सदस्य द्वारा दिया गया उसकी आयु का प्रमाण-पत्र।
- viii) भारतीय पासपोर्ट
- ix) पैन कार्ड
- x) ड्राइविंग लाइसेंस
- xi) यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड

**टिप्पणी:-** आयु का दस्तावेजी प्रमाण केवल उन्हीं मामलों में अपेक्षित होगा, जिनमें आवेदक की आयु 18 वर्ष और 21 वर्ष के बीच हो। अन्य सभी मामलों में, आवेदक द्वारा अपनी आयु की घोषणा आयु के प्रमाणस्वरूप ली जाएगी।

#### **निर्वाचक फोटो पहचान पत्र का विवरण**

1. यदि निर्वाचन आयोग द्वारा आवेदक को पहले ही एक फोटो पहचान कार्ड जारी किया गया है तो कार्ड संख्या (अग्र भाग पर मुद्रित) तथा कार्ड के जारी करने की तिथि (पश्च भाग पर मुद्रित) का आवेदन प्ररूप के भाग (घ) में दिए गए स्थान में उल्लेख किया जाना चाहिए। कृपया कार्ड के दोनों भागों की स्व-अभिप्रमाणित फोटो-प्रति संलग्न करें।
2. यदि आवेदक प्ररूप 8 के माध्यम से की गई प्रविष्टियों में दोष-सुधार के कारण एक नया एपिक चाहते हैं तो ऐसे प्रतिस्थापन एपिक जारी करने के लिए एपिक-001 में आवेदन (अनुबंध-11 के रूप में दिए गए फार्मेट के अनुसार), पुराने एपिक और प्ररूप-8 के आधार पर ईआरओ द्वारा दोष-सुधार किए जाने के बाद अपेक्षित शुल्क के साथ, किए जाने हैं।

#### **शुद्ध की जाने वाली प्रविष्टियों के विवरण**

1. आवेदन के भाग (ड.) में आवेदक को उस/उन प्रविष्टि/प्रविष्टियों पर साफ-साफ तरीके से सही का निशान लगाना चाहिए जिसे/जिन्हें शुद्ध किया जाना है। इसलिए, यह आवेदन का अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग है।

2. अब देश के अधिकांश हिस्सों में निर्वाचक नामावली निर्वाचकों के फोटो के साथ मुद्रित की जाती है। यदि एक गलत फोटो को शुद्ध करने के लिए आवेदन दिया गया हो तो आवेदक आवेदन के भाग (ड.) में “फोटोग्राफ” पर सही का निशान लगा सकते हैं और अपना हाल का पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो आवेदन के साथ कृपया संलग्न करें। निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों में दोष-सुधार की दशा में कृपया प्ररूप के मद (ड.) के ठीक नीचे इस प्रयोजनार्थ दिए गए खाने में ठीक-ठीक विवरणों (जिसे प्रस्तावित दोष-सुधार के बाद होना चाहिए) का उल्लेख करें।
3. अभिस्वीकृति एवं सूचना अंशों पर पूरा नाम और पता भी दिया जाना चाहिए।
4. आवेदक प्ररूप में मोबाइल नम्बर और ई मेल आईडी-दे सकते हैं जो वैकल्पिक है क्योंकि यदि इसे उपलब्ध कराया जाता है तो उसका निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा आवेदक के साथ, जरूरत पड़ने पर, आगे संपर्क स्थापित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

### **प्रतिस्थापन एपिक**

यदि आवेदक नए पते के साथ प्रतिस्थापन एपिक चाहता है तो उसे उसके लिए प्ररूप-8क के आधार पर नए स्थान पर पंजीकरण होने के बाद प्ररूप एपिक-001 में आवेदन (अनुबंध-1 के रूप में दिए गए फार्मेट क अनुसार), प्रतिस्थापन एपिक के लिए अपेक्षित शुल्क, और पुराने एपिक के साथ, करना चाहिए।

\*\*\*\*\*

**अनुबंध-1 (प्ररूप-8 के लिए)**

**शपथ या प्रतिज्ञान का प्ररूप**

(18-21 वर्ष के आयु समूह में पहली बार के आवेदक,  
जिसके पास आयु का प्रमाण नहीं है, के माता/पिता/गुरु द्वारा  
लिया जाए/किया जाए।

मैं,.....जिसका नाम  
..... विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की भाग संख्या  
..... में क्रम संख्या ..... में नामांकित है, ईश्वर के नाम से शपथ लेता/लेती  
हूँ/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता/करती हूँ कि मेरा पुत्र/मेरी पुत्री/मेरा शिष्य ..... दिनांक  
01 जनवरी, 20.... की स्थिति के अनुसार --- वर्ष का/की है और मेरे साथ रह रहा/रही है।

स्थान :

तारीख :

माता/पिता/गुरु के हस्ताक्षर

श्री/श्रीमती ..... द्वारा मेरे समक्ष वर्ष 20.... के .....दिवस को .....  
(बजे) ..... (स्थान) पर ईश्वर के नाम में शपथ ली गई/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान किया गया।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण  
अधिकारी के मुहर सहित हस्ताक्षर

## अनुबंध II (प्ररूप-8 के लिए)

<b>भारत निर्वाचन आयोग</b> <b>( अनुबंध II )</b> <b>प्रतिस्थापन निर्वाचक फोटो पहचान कार्ड (एपिक) जारी करने के लिए आवेदन</b>		<b>प्ररूप आई.डी.</b> <b>ईसीआई-एपिक-001</b>
<b>क</b>	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र : वि.स. निर्वाचन-क्षेत्र* (सं. & नाम) : जिला:	
<b>ख</b>	<b>निर्वाचक का विवरण (निर्वाचक द्वारा भरे जाने के लिए)</b> सेवा में, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, ..... विधान सभा/ संसदीय* निर्वाचन-क्षेत्र	
	महोदय/महोदया, मैं अनुरोध करता/करती हूँ कि मुझे एक डुप्लीकेट निर्वाचक फोटो पहचान कार्ड जारी किया जाए क्योंकि मेरे निर्वाचक विवरण में त्रुटि-सुधार किए जाने के कारण मेरा मूल कार्ड गुम/नष्ट/विकृत हो गया है या पते में परिवर्तन होने के कारण मैं अपने नए पते के साथ एक नया कार्ड प्राप्त करना चाहता/चाहती हूँ। मैं डुप्लीकेट एपिक जारी करने के शुल्क के साथ आपको अपना एपिक वापस कर रहा/रही हूँ। मेरा नाम उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में शामिल है। डुप्लीकेट एपिक जारी करने के मेरे दावे के समर्थन में विवरण नीचे दिए गए हैं:	
	1. निर्वाचक का नाम:	2. मूल कार्ड की एपिक सं. (यदि ज्ञात हो) :
	3. पिता/माता/पति* का नाम :	4. लिंग (पु./म.):
		5. जन्म तिथि, यदि ज्ञात नहीं हो तो आयु वर्षों में, 1 जनवरी, 200___को.....
	6. पता	
	(i) गृह/द्वार संख्या :	
	(ii) गली/मोहल्ला/सड़क/गली :	
	(iii) क्षेत्र/मोहल्ला :	
	(iv) शहर/ग्राम :	(v) पिन कोड
	(vi) पुलिस स्टेशन :	(vii) जिला:
	(viii) डुप्लीकेट कार्ड के लिए आवेदन करने के कारण :	
	1. मैं एपिक वीआरसी/सीएससी से संगृहीत करूंगा/करूंगी। 2. मैं अपना एपिक डाक द्वारा प्राप्त करना चाहता/चाहती हूँ (स्व-पता-लिखित एवं डाक-टिकट लगे लिफाफे संलग्न हैं)। 3. मैं एपिक बीएलओ से संगृहीत करूंगा/करूंगी।	
	( ) आवेदक के हस्ताक्षर	
	(ix) उपर्युक्त बॉक्स पर सही का निशान लगाएं (✓) :	दिनांक:
	<input type="checkbox"/> मैं एतद्वारा अपना विकृत/पुराना कार्ड वापस करता/करती हूँ। <input type="checkbox"/> मैं वचन देता/देती हूँ कि यदि मुझे जारी पूर्ववर्ती कार्ड बाद की तारीख में प्राप्त होता है तो मैं उसे वापस कर दूंगा/दूंगी।	स्थान:
	<i>आधिकारिक इस्तेमाल के लिए</i>	
<b>ग</b>	<b>एपिक जारी करने के लिए प्रमाणीकरण ( ईआरओ के प्रतिनिधि द्वारा भरे जाने के लिए )</b>	
भाग सं. :	भाग में निर्वाचक की क्रम सं. :	नामोददिष्ट फोटोग्राफी लोकेशन (डीपीएल) या कॉमन सर्विस सेंटर (सीएसई) की आईडी संख्या:
पंजी सं.	पंजी में क्रम सं.	# टोकन नं. या रसीद सं.
सत्यापनकर्ता :	हस्ताक्षर	
दिनांक: ___/___/200___		
<b>घ</b>	<b>निर्वाचक द्वारा आर-एपिक की अभिस्वीकृति</b>	
(तारीख):	को डुप्लीकेट एपिक प्राप्त किया	निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान
	- - 200___	